राजस्थान-सरकार

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी रामसर जिला बाड़मेर

क्रमांक /राजस्व/2025/ दिनांक :-

।आदेश।

तहसीलदार रामसर द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 130,131,132,136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 सपठित नियम 68,69,60,66,66 राजस्थान भू अभिलेख नियम 1957 मौजा रामदेरिया तला (खड़ीन)पटवार मण्डल खड़ीन के खातेदारी खसरा नंबर 724/641 किस्म बा.पी. में एक (बारहमासी रास्ता) चल रहा है परन्तु राजस्व अभिलेख एवं राजस्व नक्शे में उक्त रास्ते का कहीं भी अंकन नहीं है। उक्त रास्ते का राजस्व रेकर्ड में अंकन संलग्न नक्शे अनुसार ए सी बी के अनुसार राजस्थान सरकार के राजस्व विभाग (ग्रुप-6) के परिपत्र क्रमांक प.3(2)राज- 6/2003/परि/04 जयपुर दिनांक 10.08.2016 के परिप्रेक्ष में निम्नानुसार प्रस्तावित किया गया है।

क्र.सं.	ग्राम का नाम	खसरा नंबर	कुल रकबा हैक्टेयर	किस्म	रास्ते में प्रस्तावित भूमि रकबा हैक्टेयर में	रास्ता अंकन के बाद शेष खसरे का रकबा हैक्टेयर में
1.	रामदेरिया तला (खड़ीन)	724/641	3.3427	बा.पी.	0.0566	3.2861

तहसीलदार रामसर द्वारा प्रस्तावित मौके पर स्थाई रूप से चल रहे कदीमी/ बारहमासी रास्ता जो हर मौसम /सीजन के अनुसारबदलता नही है एवं वर्ष भर आमजन के आवागमन हेतु उपलब्ध रहता है।जो वर्तमान में चालू है तथा प्रस्तावित भूमि वर्तमान में रास्ते में उपयोग में ली जा रही है। अतः तहसीलदार रामसर द्वारा प्रेषित उपरोक्तानुसार प्रस्ताव संलग्न नक्शे में ए से बी तक निजि खातेदारी भूमि में से चालू स्थाई रास्ता संबधित खातेदार की खातेदारी रखते हुये नक्शे व जमाबंदी में पृथक से खसरा दिया जाकर संलग्न नक्शे में ए से बी तक रास्ते के रकबे सहित किस्म गैरमुमकिन'रास्ता दर्ज करने के आदेश दिये जाते है।अतः तहसीलदार रामसर को आदेशित किया जाता हैकि उक्तानुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद कर पालना से अवगत करावे।

(अनिल कुमार)
उपखण्ड अधिकारी रामसर

क्रमांक /राजस्व/2025/ 41-42 दिनांक :- 03/01/2025

प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार रामसर।
2. पटवारी हल्का खड़ीन।

उपखण्ड अधिकारी रामसर
उपखण्ड अधिकारी
रामसर